

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई०

संख्या 110/VIII-1/23-147(श्रम)/2001-राज्यपाल ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 37, सन् 1970) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तथा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 2614/VIII/1-129(श्रम)/2001, दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 का अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुसूची के स्तम्भ-3 में उनके सामने उल्लिखित क्षेत्रों के लिए उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अनुज्ञापन अधिकारी (Licensing Authority) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	अपर श्रम आयुक्त, देहरादून।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
2	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
3	उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार।	जनपद हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
4	उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी।	जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
5	उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर।	जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़।
6	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद नैनीताल।
7	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, ऊधमसिंह नगर में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद ऊधमसिंह नगर।
8	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, देहरादून में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी।
9	उप श्रम आयुक्त कार्यालय, हरिद्वार में तैनात सहायक श्रम आयुक्त।	जनपद हरिद्वार।
10	सहायक श्रम आयुक्त, अल्मोड़ा।	जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
11	सहायक श्रम आयुक्त, पिथौरागढ़।	जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत।
12	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश।	जनपद टिहरी गढ़वाल एवं तहसील ऋषिकेश।
13	सहायक श्रम आयुक्त, कोटद्वार।	जनपद पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं चमोली।

आज्ञा से,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

(2)

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 110/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.110/VIII-1/23-147-Labour/2001--In exercise of the powers conferred by section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition), Act, 1970 (Act No. 37 of 1970) (as in force in the State of Uttarakhand) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor by superseding the notification number: 2614/VIII/1-129(Labour)/2001, Dated: December 27, 2010 issued earlier, is pleased to accord sanctions to exercise the powers as of 'Licensing Authority' to the Officers mentioned in column-2 of the schedule given below under the said Act, for the areas mentioned against them in column-3 of the Schedule below:-

Schedule

S.No.	Designation of the Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1	Additional Labour Commissioner, Dehradun	Whole state of Uttarakhand.
2	All Joint/Deputy/Assistant Labour Commissioners posted in the office of Labour Commissioner	Whole state of Uttarakhand.
3	Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal
4	Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital, Almora and Bageshwar
5	Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh
6	Assistant Labour Commissioner posted in the Office of Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital
7	Assistant Labour Commissioner posted in Deputy Labour Commissioner's Office, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar
8	Assistant Labour Commissioner posted in the Office of the Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun and Uttarkashi
9	Assistant Labour Commissioner posted in the Office of the Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar
10	Assistant Labour Commissioner, Almora	District Almora and Bageshwar
11	Assistant Labour Commissioner, Pithoragarh	District Pithoragarh and Champawat
12	Assistant Labour Commissioner, Rishikesh.	District Tehri Garhwal and Tehsil Rishikesh
13	Assistant Labour Commissioner, Kotdwar.	District Pauri Garhwal, Rudraprayag and Chamoli

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,
Secretary.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 10-06-2023, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 श्रम/290-28-07-2023-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।